दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उदघोषण तिथि: 11 जनवरी, 2024

रि.या.(सि.) 8244/2020, सि.वि.आ. 26717/2020

भारत संघ और अन्य .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री जसविंदर सिंह, अधिवक्ता

बनाम

मिथलेश त्यागी .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.के. भारद्वाज,
श्रीमती प्रियंका एम. भारद्वाज और
श्री अरुण प्रकाश, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता

निर्णय

न्या. वी. कामेश्वर राव

1. भारत संघ द्वारा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से दायर इस रिट याचिका में 23 जनवरी, 2020 के एक आदेश चुनौती दी गई है, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ('न्यायाधिकरण', संक्षेप में)

द्वारा मूल आवेदन संख्या 2164/2019 (संक्षेप में 'मू.आ.') में पारित किया गया है, जिसके अधीन न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 9 में निर्देश देकर प्रत्यर्थी द्वारा दायर मू.आ. की अनुमति दी है, जो निम्नानुसार है:

> *"9. यद्यपि, तकनीकी रूप से प्रत्यर्थीगण सही हैं, लेकिन ऊपर वर्णित मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से यह कि आवेदक शैक्षिक रूप से योग्य थी और उसका चयन किया गया था और वह प्रत्यर्थियों द्वारा चुने जाने से पूर्व केन्द्रीय विद्यालय में तदर्थ आधार पर* 1983 *से* 2008 *में* 60 *वर्ष की आयु पर पहुँचने तक प्रत्यर्थियों के लिए संतोषजनक काम कर रही थी और* 1955 *से ही वहाँ हिंदी प्राध्यापक की आवश्यकता थी और* 1979 *से ही रिक्तियां मौजूद थीं और* 1979 *में भर्ती नियम भी बनाए गए थे और उनके स्वयं के निवेदन के अनुसार* 200 *रिक्त पद उपलब्ध थे और आवेदक की पूरे भारत में पोस्टिंग कर उसकी सेवाएं ली गईं थीं यद्यपि तदर्थ नियुक्ति के आधार पर, मेरा विचार है कि उनकी सेवाओं को* 21-01-1983 *से* 04-07-2008 *तक अर्हक सेवा माना जाएगा और मैं प्रत्यर्थियों को निर्देश देता हूं कि वे आवेदक की सेवा की उपरोक्त अवधि को अर्हक सेवा के रूप में मानें और उसके सभी सेवानिवृत्ति और अन्य पेंशन लाभों की गणना करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदक को भुगतान करें। हालांकि वह* 2008 *से इस आदेश के पारित होने की तिथि तक किसी भी ब्याज की लिए पात्र नहीं है। यदि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवेदक जीपीएफ दर पर सेवानिवृत्ति लाभों पर ब्याज का हकदार है। कोई जुर्माने का आदेश नहीं।"*

2. अभिलेख से जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वह यह हैं कि 22 जनवरी, 1983 को प्रत्यर्थी को शुरू में तदर्थ आधार पर हिंदी प्राध्यापक (संक्षेप में 'एच.पी.') के रूप में नियुक्त किया गया था। दोनों पक्षों के अनुसार एच.पी.

के रूप में तदर्थ के आधार पर उनकी नियुक्ति की तिथि को वह भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित आयु सीमा, यानी 30 वर्ष से बड़ी थी और उम्मीदवारों की नियमित भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में 'एस.एस.सी.') द्वारा की जानी थी।

3. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अत्यावश्यकता के कारण, प्रत्यर्थी को एच.पी. के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था जिस दौरान अलग-अलग समय पर 30 नवंबर, 1989 तक नियुक्तियां जारी रही, जब उसे सेवा से हटा दिया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष मू.आ. 2239/1990 दायर किया और न्यायाधिकरण द्वारा 10 जुलाई, 1992 को याचिकाकर्ताओं को भारत में कहीं भी नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए उक्त मू.आ. का निपटान कर दिया गया। प्रत्यर्थी को 8 फरवरी, 1993 को फिर से तदर्थ आधार पर एच.पी. के रूप में नियुक्त किया गया था, जो नियुक्ति 31 मई, 2008 तक उसी कार्यवाहक श्रेणी के साथ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रही, जो कि अन्यथा सेवानिवृत्ति की आयु होती है।

4. वर्ष 2003 में, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक और मू.आ. दायर किया, जो मू.आ.1336/2003 था, जिसमें उसे नियमित करने की मांग की गई थी। उक्त मू.आ. को न्यायाधिकरण द्वारा 29 मई, 2003 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह प्रारंभिक

नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि वह भर्ती नियमों के अनुसार 30 वर्ष की आयु सीमा से बड़ी थी। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि.) 5224/2003 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने भी 5 दिसंबर, 2005 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसार के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया:

> *" ..... उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार, प्रत्यर्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग और डीओपीटी के परामर्श से उनके मामले की जांच की और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए उनके पक्ष में आयु में छूट देने के लिए उनकी सलाह मांगी। इस तरह की जांच पर माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की आयु तदर्थ आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति के समय भी अधिक थी, यानी 22 जनवरी 1983 को, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित करने के उनके अनुरोध पर बहस करना संभव नहीं माना गया। अभिलेखों से यह भी स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता को भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था। भर्ती नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी प्राध्यापक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। पहले उक्त पद के लिए चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना था। <u>याचिकाकर्ता को कभी भी भर्ती नियमों के अनुसार आयोजित किसी भी चयन प्रक्रिया में कभी नहीं चुना गया था। उनकी नियुक्ति नियमों की परिधि के बाहर थी। वास्तव में नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता आयु-सीमा से बड़ी थी और इसलिए उसकी सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध को प्रत्यर्थियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका।</u>...."*

5. प्रत्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 7084/2008 इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने 8 अप्रैल, 2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने 5 मई, 2015, 18 जून, 2015 और 3 जुलाई, 2015 को याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ और विभिन्न अन्य राहतों की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया था। 4 अगस्त, 2015 को याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी के 4 मई, 2015 के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय 34/35 वर्ष और 4 महीने की थी और नियमितीकरण के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और व्यक्तिगत लाभों का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। याचिकाकर्ताओं के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने आगे प्रतिनिधित्व किया जिस पर याचिकाकर्ताओं ने 29 जून, 2017 को एक पत्राचार भेजा। 29 जून, 2017 का पत्राचार न्यायाधिकरण के समक्ष मू.आ.3904/2017 का विषय बन गया। न्यायाधिकरण ने 25 सितंबर, 2018 के आदेश के माध्यम से मू.आ. का निपटान पैराग्राफ 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हुए किया:

> *"17. न्यायाधिकरण का मानना है कि उसकी उम्र के बारे में किसी भी संदेह को उसके 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। इसलिए, यह न्यायहित में होगा कि आवेदक चार सप्ताह के भीतर अपने दावे के समर्थन में सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए प्रत्यर्थिगण को औपचारिक अभ्यावेदन दें। यह अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी उपरोक्त पैरा 13 और 14 में उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की प्रयोज्यता और उपर्युक्त पैरा 17 में उद्धृत दिनांक 10.04.1969 के नीति परिपत्र की प्रयोज्यता पर विधिवत विचार करते हुए और आवेदक के साथ उसमें किसी भी समानता की गंभीर रूप से जांच करते हुए छह महीने की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश देंगे। यदि इसके परिणामस्वरूप आवेदक कुछ लाभों का पात्र हो भी जाती है तो ये उसे आठ सप्ताह की*

अतिरिक्त अवधि के भीतर मिल जाएंगे। इस चरण में इन निर्देशों के साथ मू.आ. का निपटान किया जाता है। जुर्माने का कोई आदेश नहीं है।"

7. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने हिंदी प्रध्यापक पद के लिए चुने जाने से पूर्व केंद्रीय विद्यालय में तदर्थ आधार पर काम किया था, जिसमें उसने डीओपीटी दिशानिर्देशों के अधीन नियमितीकरण के उद्देश्य से आयु में छूट मांगी थी। लेकिन उनके अनुरोध को पात्रता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि भर्ती नियमों के प्रावधानों को देखते हुए उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि पर उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी। यह बताना पर्याप्त है कि न्यायालयों के समक्ष उसके बार-बार किये गये अनुरोध असफल रहे।

8. न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार प्रत्यर्थी ने 21 अक्टूबर, 2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन 8 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया गया था जो मू.आ. 2164/2019 का विषय वस्तु बन गया। यह उसमें पारित आदेश है, जो वर्तमान याचिका कि विषय वस्तु है। 8 अप्रैल, 2019 का आदेश इस प्रकार है:

"(i) इस बिंदु के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि भर्ती नियम, 1979 में हिंदी प्राध्यापक के पद के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 से 30 वर्ष थी। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट दी जाती है। श्रीमती त्यागी के मामले में भर्ती नियम, 1979 लागू था, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी। इसलिए उन्हें उम्र में छूट नहीं दी गई थी। उन्होंने इस मुद्दे को सि.रि.या. सं.522412003 में भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था और

उपरोक्त पैरा-8 में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसलिए गृह मंत्रालय का दिनांक 10.04.1969 का कार्यालय नोटिस सं. 4/7168/स्था (घ) श्रीमती त्यागी के मामले में लागू नहीं होता है।

(ii) बिंदु-2 एवं 3 के संबंध में यह कार्यालय श्रीमती त्यागी के कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा हेतु आवेदन के संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहता है।

(iii) श्रीमती त्यागी के अभ्यावेदन के पैरा-4 के संबंध में उसका विवरण उपरोक्त पैरा 4 एवं 5 में दिया गया है।

(iv) माननीय कें.प्र.अ. के निर्णय के पैरा-17 में बिंदु-5 के संबंध में गृह मंत्रालय के कार्यालय नोटिस दिनांक 10.04.1969 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "साथ ही साथ, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आयु में छूट का लाभ अधिक आयु वाले तदर्थ नियुक्तियों को नहीं दिया जाए"

(v) बिंदु-6 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस कार्यालय को श्रीमती मिथलेश त्यागी की जन्म तिथि पर कोई संदेह नहीं है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदी प्राध्यापक के पद पर प्रथम तदर्थ नियुक्ति के समय वह दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार भर्ती नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष को पार कर चुकी थी।

(vi) बिन्दु-7 से 10 के संबंध में, श्रीमती मिथलेश त्यागी के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए यह पाया गया कि हिंदी प्राध्यापकों के नियमित पद के लिए नियमित उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, श्रीमती त्यागी को सत्र के अनुसार ऐसे पदों पर समय-समय पर पूरी तरह से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता था और यह भाषा प्रशिक्षण को सुचारू रूप से जारी रखने की एक वैकल्पिक प्रणाली थी। श्रीमती त्यागी को कभी भी नियमित रूप से नहीं रखा गया था। उन्हें केवल प्रशिक्षण सत्र के लिए रखा गया था। वर्ष 1979 के बाद, नियमित नियुक्ति केवल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा सकती थी। क्योंकि श्रीमती मिथिलाश त्यागी ने अपनी प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति के समय भर्ती नियम, 1979 के अनुसार आयु सीमा की शर्तों को पूरा नहीं किया था इसलिए न तो कर्मचारी चयन आयोग और न ही कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग उनकी नियमित नियुक्ति के लिए कभी सहमत हुए। श्रीमती त्यागी ने उनके नियमितीकरण के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर कीं, लेकिन किसी भी न्यायालय ने उनके नियमितीकरण का आदेश पारित नहीं किया। सभी आदेशों में, न्यायालयों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह भर्ती नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करती है, इसलिए उसे नियमित नहीं किया जा सकता है। समतुल्य भर्ती नियम के आधार पर, श्रीमती त्यागी को तदर्थ आधार पर नियमित नियुक्ति नहीं दी गई थी। इसलिए श्रीमती त्यागी के तदर्थ सेवाओं को नियमित करने का कोई आधार नहीं है। उनके तदर्थ सेवाओं के बदले उन्हें निश्चित वेतन दिया गया था।"

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि एच.पी. के पद पर नियमित नियुक्ति केवल एस.एस.सी. द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा ही की जा सकती है, बशर्ते कि उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हो और 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के भीतर हो।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने नियमित चयन लंबित रहने तक एक विराम-अंतराल व्यवस्था के रूप में तदर्थ आधार पर काम किया था और उसे नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह भर्ती नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा से बड़ी थी।

11. इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी नियमित नियुक्ति का मुद्दा उच्चतम न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है और पेंशन लाभों के लिए प्रत्यर्थी के अनुरोध पर न्यायाधिकरण द्वारा उस तरीके से विचार नहीं

किया जा सकता था जिस तरह से उनके द्वारा आक्षेपित आदेश में किया गया था।

12. उनके अनुसार, उनकी नियमित नियुक्ति के मुद्दे की अनदेखी करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, 21 जनवरी, 1983 से 4 जुलाई, 2008 के बीच की अवधि को योग्यता सेवा के रूप में मानने के लिए न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अनावश्यक है और के.सि.से.(पेंशन) नियम 1972 के नियम 13 का उल्लंघन है क्योंकि प्रत्यर्थी न तो स्थायी कर्मचारी थी और न ही अस्थायी कर्मचारी थी और न ही वह कार्यवाहक क्षमता में काम कर रही थी।

13. इसके अलावा, तदर्थ नियुक्ति वर्ष 1983-1989 और उसके बाद वर्ष 1993 से 2008 के बीच 32 विराम-अंतराल के साथ हुई थी।

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और 1983 से 2008 के बीच की अवधि के लिए प्रत्यर्थी को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए थे, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. के. भारद्वाज न्यायाधिकरण के आदेश को यह कहते हुए उचित ठहरातें है कि न्यायाधिकरण ने उचित रूप से राहत प्रदान की है, क्योंकि प्रत्यर्थी ने 19.5 वर्ष से अधिक

समय तक काम किया है, उसे केवल इस कारण से पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसकी नियुक्ति नियमित नहीं थी।

16. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए 19.5 वर्षों की नियुक्ति कोई छोटी अवधि नहीं है कि वे प्रत्यर्थी की पेंशन संबंधी लाभों की अनदेखी करें और उनसे इनकार करें। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के पक्ष में एक सहानुभूतिशील दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है ताकि वह पेंशन लाभ प्राप्त कर सके।

17. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख को देखने के बाद, जो विचारणीय मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण प्रत्यर्थी को पेंशन लाभ देने में न्यायोचित था। इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि तदर्थ आधार पर थी। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें तब नियुक्त किया गया था जब उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी, जो भर्ती नियमों के अधीन अनुज्ञेय आयु सीमा थी।

18. वास्तव में, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण, इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा किया था, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुई है, इसलिए, तदर्थ नियुक्ति पर पेंशन लाभों का दावा नियमों के अनुसार नहीं था, क्योंकि ऐसी नियुक्ति नियमित नहीं थी और इसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता था

जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। खेदपूर्ण है कि न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह का निर्देश देकर 1989-1993 के बीच की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में शामिल करना जब वह पेंशन लाभों के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमेबाजी कर रही थी और बेरोजगार थी, अनावश्यक है।

19. इस संबंध में कानून सुस्थापित है, जैसा कि ***महानिदेशक, दूरदर्शन प्रसार भारती कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम श्रीमती. मैगी एच देसाई*** शीर्षक वाली ***सिविल याचिका सं 1787/2023*** में उच्चतम न्यायालय ने ***24 मार्च, 2023*** के निर्णय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> *"5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।*
>
> *शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 1985 से 31.03.1995 के बीच की अवधि के लिए प्रत्यर्थी ने एक आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारी के रूप में कार्य किया और उसकी सेवाएँ योजना अनुसार 31.03.1995 से नियमित की गई। इस प्रकार नियमितीकरण योजना के अधीन, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नैमितिक सेवाओं को सेवा लाभों/पेंशन लाभों में गिना जाएगा। यहां तक कि वर्ष 2009 में डी.ओ.पी.टी. द्वारा जारी स्पष्टीकरण में यह बताया गया था कि इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने से पहले संविदात्मक रूप से उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।*
>
> *6. प्रत्यर्थी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित है। 1972 के नियमों के नियम 13 और 14, जो वर्तमान मामले में विवाद का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार हैं:*

"13. अर्हक सेवा की शुरुआत- इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, किसी सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस पद का प्रभार संभालने की तिथि से शुरू होगी जिस पर वह पहली बार या तो स्थायी रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है:

बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा के पश्चात बिना किसी विराम-अंतराल के स्थायी नियुक्ति उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर हो:

बशर्ते -

(क) समूह 'घ' में किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में...

(ख) खंड (क) के दायरे में न आने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में....

14. सेवा के अर्हक होने की शर्तें:

(1) सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक अर्हक नहीं होगी जब तक कि उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए "सेवा" पद का अर्थ एक ऐसी सेवा है जो सरकार के अधीन हो और जिसका भुगतान सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से या उस सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि से किया जाता हो, लेकिन इसमें गैर-पेंशनीय संस्थान शामिल नहीं है, जब तक कि ऐसी सेवा को उस सरकार द्वारा अर्हक सेवा नहीं माना जाता है।

(3) *राज्य सरकार से संबंधित किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसे स्थायी रूप से किसी ऐसे सेवा या पद पर स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, और उसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन एक कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता, यदि कोई हो, में निरंतर सेवा प्रदान की जाती है, जिसके तुरंत बाद उसकी स्थायी नियुक्ति होती है, या उस सरकार के अधीन कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में की गई निरंतर सेवा, जो भी हो, अर्हक होगी:*

बशर्ते कि इस उप-नियम में निहित कुछ भी ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसे किसी सेवा या पद पर प्रतिनियुक्ति के अलावा किसी अन्यथा जगह नियुक्त किया जाता है, जिस पर यह नियम लागू होते हैं।"

7. 1972 के नियमों के नियम 13 में अर्हक सेवा शुरू करने का प्रावधान है। नियम 13 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तिथि से शुरू होती जब वह उस पद का प्रभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो स्थायी रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसी कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर स्थायी नियुक्ति द्वारा किया जाता है। इसलिए, किसी स्थायी पद पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या कार्यवाहक या अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अर्हक सेवा माना जाएगा। नैमितिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवा को कार्यवाहक या अस्थायी सेवा नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी अर्हक सेवा माना जा सकता है बशर्ते कि स्थायी नियुक्ति कार्यवाहक या अस्थायी सेवा के तुरंत बाद उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर की जाए। नैमितिक/संविदात्मक रूप में प्रदान की गई सेवा को स्थायी नियुक्ति पर की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है।

8. इन परिस्थितियों में और 1972 के नियमों के नियम 13 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने और व्याख्या करने पर, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है कि अस्थायी क्षमता में सेवाओं में अस्थायी सेवा के वर्ग जैसे नैमितिक या संविदात्मक भी शामिल होंगे। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में बड़ी गलती की है कि संविदात्मक सेवा अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में अर्हक होगी। सवाल यह नहीं है कि क्या एक संविदात्मक कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में अर्हक होंगी या नहीं । सवाल यह है कि क्या वास्तव में, ऐसे संविदात्मक कर्मचारी ने सेवाओं को अस्थायी के रूप में प्रदान किया गया है या नहीं।

9. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन है कि योजना के अधीन अन्य विभागों में ऐसे विभागों के कर्मचारी पेंशन/सेवा लाभों के लिए योग्यता सेवा के लिए गिने जाने वाले नैमितिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई अपनी सेवाओं के हकदार हैं, केवल इसलिए कि कुछ अन्य विभागों में ऐसी योजनाएं हो सकती हैं, किसी भी योजना की अनुपस्थिति में ,प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के विभाग । ऐसे किसी भी विभाग जिसमें प्रत्यर्थी ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, में समान लाभ का हकदार नहीं होगा। अपीलार्थी -दूरदर्शन प्रसार भारती कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त

स्वतंत्र विभाग/निकाय है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न तो नियम और न ही नियमितीकरण योजना में यह प्रावधान है कि नैमितिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में माना जाएगा और/या उन्हें पेंशन/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।

10. उपरोक्त के अनुसार और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। मूल आवेदन को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जुर्माने का कोई आदेश नहीं है।"

(जोर दिया गया)

20. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए चूंकि प्रत्यर्थी की नियुक्ति स्थायी नहीं थी और यह अस्थायी/स्थानापन्न भी नहीं थी जिसके बाद एक स्थायी नियुक्ति की गई, इसलिए इस अवधि को अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकता है, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने जिस तरीके से मू.आ. को अनुमति दी है, उसमें स्पष्ट रूप से गलती हुई है। 23 जनवरी, 2020 के न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है

21. रिट याचिका को व्ययनित किया जाता है।

सि.वि.आ. 26717/2020

निष्फल के रूप में खारिज किया गया।

न्या. वी. कामेश्वर राव

न्या. अनूप कुमार मेंदीरत्ता

11 जनवरी, 2024/*अकी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*